पुलिस आदेश सं0 277/2000

प्रसंग:- पुलिस आदेश सं0 277/2000 में आंशिक संशोधन ।

विषय:- प्रत्येक जिला, इकाई में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से 3-3 पद पुरुष अथवा महिला में गृह आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में ।

पुलिस आदेश सं0- 277/2000 में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है :-

" पटना जिला में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से छः पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाता है जिसे पटना-पटना जिला में बारह बाल आरक्षी की नियुक्ति की जा सकती है शेष अंश यथावत रहेंगे ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 7808 /पो2
43-38-126-2000

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।

पटना, दिनांक 7 नवम्बर, 2000.

प्रतिलिपि:-

1- सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, रेल/ अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा सहित/ सभी समादेष्टा, अग्निशमन दल, बिहार सशस्त्र आरक्षी सहित को सूचनार्थ ।

2- आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर/टी0टी0एम0 जमशेदपुर/ एस0पी0टी0सी0, हजारीबाग, हजारीबाग को सूचनार्थ ।

3- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक, सितंबर, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेल/ सैन्य पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा सहित को सूचनार्थ ।

5- महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

6- सभी पुलिस अधीक्षक एवं महानिदेशक, रेल सहित को सूचनार्थ ।

आरक्षी उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना

रा0प0/13112000